REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262737 CG-DL-E-28042025-262737

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1873] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947 No. 1873] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

> रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग)

> > अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

**का.आ. 1915(अ).**— केंद्रीय सरकार ने भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सं.का.नि. 323(अ) तारीख 26 अप्रैल, 2023 द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अनिल वर्मा को तारीख 30 अप्रैल, 2023 से या उसके पश्चात पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त पद के समवर्ती प्रभार को ग्रहण करने हेतु नियुक्त किया था, जिसे बाद में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सं.का.नि.266(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2024 द्वारा एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था।

और केंद्रीय सरकार ऐसा मानती है कि भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त के कार्यकाल का विस्तार 30 अप्रैल, 2025 से एक और अवधि के लिए किया जाना आवश्यक है ।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायधीश श्री न्यायामूर्ति अनिल वर्मा के न्यायाधीश के रूप में उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त पद के समवर्ती प्रभार को ग्रहण करने के कार्यकाल को तारीख 30 अप्रैल, 2025 से 15 मार्च, 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक की अवधि के लिए विस्तारित करती है।

[फा. सं. बी.एच-11014/1/1012-बीएच]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

#### (Department of Chemicals and Fertilizers)

# **NOTIFICATION**

## New Delhi, the 28th April, 2025

**S.O. 1915(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number G.S.R.323(E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2023, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Anil Verma, sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh, to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the welfare of the victims of the Bhopal Gas leak disaster for a period of one year with effect from date of assumption of charge of post on or after 30.04.2023 which was extended *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number G.S.R.266 (E), dated the 30<sup>th</sup> April, 2024 for a period of one year.

And whereas the Central Government considers it necessary to extend the tenure of the Commissioner for the Welfare of the victims of the Bhopal gas leak disaster by a further period with effect from the 30<sup>th</sup> April, 2025.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Bhopal gas leak disaster (Processing of Claims) Act, 1985, the Central Government hereby extends the tenure of Shri Justice Anil Verma, sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the welfare of victims of Bhopal gas leak disaster for a further period with effect from 30<sup>th</sup> April, 2025 till his superannuation on 15<sup>th</sup> March, 2026, in addition to his duties as a judge of High Court of Madhya Pradesh.

[F. No. B.H-11014/1/1012-BH] DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.